कार्यालय जिलाधिकारी,बाराबंकी।

संख्याः कोविड–19/2021 380 दिनांकः 11 मई 2021

आदेश

उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना संख्याः 548/पॉच–5–2020, दिनांकः14 मार्च 2020 के द्वारा महामारी अधिनियम–1897 (अधिनियम संख्या 3 सन् 1897) के कम में उत्तर प्रदेश महामारी कोविड–19 (सप्तम् संसोधन) दिनांकः 31 मार्च 2021 विनियमावली, 2021 के द्वारा दिनांकः 30 जून 2021 तक या जब तक अगेत्तर आदेश नही दिये जाते है, जो भी पहले हो, के लिए विधिमान्य रहेगी।

वर्तमान में कोविड संकमित मरीज एवं कोविड प्रिजेम्टीव मरीज जो होम आईशोलेशन में रह रहे है, के स्वास्थ्य की स्थिति गम्भीर होने पर यदि उसकी मृत्यु घर पर होती है तो यह घोर चिन्ताजनक विषय है।

उक्त के सबंध में समस्त अधीक्षक, सामु0स्वा0केन्द्र जनपद बाराबंकी की यह व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी कि होम आईशोलेशन में रह रहे कोविड संकमित/कोविड प्रिजेम्टीव प्रत्येक व्यक्तियों के स्वास्थ्य के सबंध में प्रतिदिन ब्लाक स्तरीय काल सेन्टर के माध्यम से जानकारी प्राप्त करेगे, यदि किसी व्यक्ति में कोई लक्षण प्रकट होते है, तो तत्काल रैपिड रिस्पांस टीम के माध्यम चिकित्सालय में भर्ती कराने की कार्यवाही सुनिश्चित करेगें।

अतएव सभी अधीक्षक/प्रभारी को आदेशित किया जाता है कि होम आईशोलेशन के कोविड संकमित/ कोविड प्रिजेम्टीव मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण रैपिड रिस्पांस टीम, निगरानी समिति के माध्यम से प्रतिदिन अनिवार्य रूप से कराना सुनिश्चित करे।

यदि कोविड संकमित/कोविड प्रिजेम्टीव किसी व्यक्ति की घर में उपचार के अभाव में मृत्यु होती है तो इसे गम्भीरता से देखा जायेगा एवं सबंधित उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

उपरोक्त निर्देशों का शत प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करें। कोविड–19 (कोरोना वायरस) सकंमण के प्रसार को रोकने हेतु दिये गये निर्देशो का तत्काल अनुपालन सुनिश्चित न करने पर उत्तर प्रदेश महामारी अधिनियम 1897 एवं भारतीय दण्ड संहिता (अधिनियम संख्या–45 सन् 1860) की धारा–188 के अधीन दण्डनीय अपराध किया गया समझा जायेगा।

(डा0आदर्श सिंह)
जिलाधिकारी
बाराबंकी।
दिनांकित।

संख्याः कोविड–19/2020 7130

प्रतिलिपि निम्न को सादर सूचनार्थ प्रेषित–:

1. अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं प0क0, उ0प्र0 शासन लखनऊ।
2. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये उ0प्र0 लखनऊ।
3. मण्डलायुक्त, अयोध्या मण्डल अयोध्या।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

2. पुलिस अधीक्षक, बाराबंकी
3. मुख्य विकास अधिकारी, बाराबंकी।
4. मुख्य चिकित्सा अधिकारी,बाराबंकी।
5. समस्त उप जिला अधिकारी, बाराबंकी
6. प्रभारी अधिकारी कोविड कमान्ड एण्ड कन्ट्रोल सेन्टर, बाराबंकी।
7. समस्त अधीक्षक,सामु0स्वा0केन्द्र एवं नोडल अधिकारी अर्बन बाराबंकी
8. समस्त रैपिड रिस्पांस टीम जनपद बाराबंकी।
9. जिला सूचना अधिकारी, बाराबंकी।

जिलाधिकारी
बाराबंकी